

टीए-2-17002(01)/17/2020-टीए-॥-पार्ट(2)/ई-14606/13

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक
(टीए-॥ अनुभाग)

नई दिल्ली, 02 जनवरी, 2024

शुद्धि पर्ची संख्या 1

(केन्द्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 2022 के लिए सहायक अनुदेश)

विषय: केन्द्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 2022 के लिए सहायक अनुदेशों में संशोधन के संबंध में।

| संदर्भ | संशोधन |
|---|--|
| केन्द्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 2022 के लिए सहायक अनुदेशों के अद्याय 2 (सरकारी खाते से आहरण) खण्ड-। (सामान्य अनुदेश), पैरा 2.2 (5) (ग) | “रुपए 10,000/-” की राशि के स्थान पर रुपए 1,00,000/- की राशि लिखा जाए। |
| केन्द्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 2022 के लिए सहायक अनुदेश के परिशिष्ट-।, समन्वय तालिका | “रुपए 10,000/- की राशि के स्थान पर “रुपए 1,00,000/-” की राशि लिखा जाए। |

इस पर वित्त सचिव और सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त है।

प्राप्ति अनुदेश
(पारुल गुप्ता)
उप महालेखा नियंत्रक (टीए)

सेवा में,

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/ लेखा नियंत्रक (आईसी)।
2. महानिदेशक (सरकार ए/सीएस), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली।
3. सीसी(पेंशन), सीपीएओ, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ट्रिकूट --II, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली
4. लेखा निदेशक, संघशासित क्षेत्र प्रशासन- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह/दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव/लक्षद्वीप और लद्दाख
5. एजी (एंडई), संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन
6. पीएओ, लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/निर्वाचन आयोग, दिल्ली
7. पीएओ (ऑडिट), एजी (ऑडिट) का कार्यालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-2
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आईटीडी), महालेखा नियंत्रक कार्यालय, वेबसाइट पर शुद्धि पर्ची अपलोड करने हेतु।

सूचनार्थ हेतु प्रति प्रेषित :-

1. महालेखा नियंत्रक के प्रधान निजी सचिव
2. अपर महालेखा नियंत्रक (पीएफएमएस) के निजी सचिव
3. अपर महालेखा नियंत्रक (एचआरएंडओ) के निजी सचिव
4. अपर महालेखा नियंत्रक (एएंडएफआर) के निजी सचिव
5. संयुक्त महालेखा नियंत्रक (जीआईएफएमआईएस) के निजी सचिव
6. संयुक्त महालेखा नियंत्रक (एआरपीआर) के निजी सचिव